

संचालनालय कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश

पर्यावास भवन, पंचम तल, खण्ड (अ) भोपाल

क्रमांक/स्था/एस.ए.एस/परिवीक्षा(सी.भ.नि)/01

भोपाल, दिनांक:- २ /01/2020


- // आदेश // -

संचालनालय कोष एवं लेखा के आदेश क्रमांक/स्था./SAS/सी.भ.नि.(201)/2015/572-573 दिनांक 27.11.2015 एवं आदेश क्रमांक/स्था./SAS/सी.भ.नि.(201)/2016/924-925 दिनांक 16.06.2016 के द्वारा म.प्र. अधीनस्थ लेखा सेवा में चयनित उम्मीदवारों को 02 वर्ष की परिवीक्षा पर नियुक्त किया गया था। संचालनालय की दिनांक 26.12.2019 द्वारा गठित समिति की अनुशंसा अनुसार निम्नलिखित परिवीक्षाधीन अधिकारियों को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर परिवीक्षा अवधि समाप्त करते हुए प्रथम वेतनवृद्धि कॉलम क्रमांक-6 में अंकित दिनांक अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। इन अधिकारियों का वेतन नियमन संबंधित कार्यालय प्रमुख द्वारा नियमानुसार किया जावे।

स.क्रं	परिवीक्षाधीन अधिकारी का नाम	पदस्थापना	संवर्ग में कार्यग्रहण का दिनांक	परिवीक्षा समाप्ति का दिनांक	प्रथम वेतनवृद्धि स्वीकृति का दिनांक	द्वितीय वेतनवृद्धि स्वीकृति का दिनांक
1	2	3	4	5	6	7
1	कु. अनामिका मीणा	सहा.आंत.लेखा परी.अधि. सं.सं.सं. कोष एवं लेखा इंदौर	05.12.2015	05.12.2017	01.07.2016	01.07.2017
2	श्री आशीष कुमार सोनी	कनि.लेखाधि. आयुक्त अनुसूचित जाति विकास भोपाल	30.06.2016	30.06.2018	01.01.2017	01.01.2018
3	श्री देवेन्द्र कुमार यादव	कनिष्ठ लेखाधिकारी शासकीय क्षेत्रिय मुद्रणालय ग्वालियर,	08.07.2016	08.07.2018	01.07.2017	01.07.2018
4	श्रीमती कामिनी मांझी	सहायक पेंशन अधिकारी, संभा. पेंशन जबलपुर	30.08.2016	30.08.2018	01.07.2017	01.07.2018

प्रमाणित किया जाता है कि परिवीक्षा पर नियुक्त अधिकारियों को स्थाई कर दिया गया होता, किन्तु स्थाई पद उपलब्ध न होने के कारण नहीं किया जा सका और यह कि स्थाई पद उपलब्ध हो जाते ही उन्हें स्थाई कर दिया जायेगा।


(आयुक्त द्वारा अनुमोदित)


संयुक्त संचालक
कोष एवं लेखा

Pi

प्रतिलिपि: -

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) म0प्र0 ग्वालियर ।
2. आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास भोपाल।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा इंदौर एवं जबलपुर म0प्र0 ।
4. संभागीय पेंशन अधिकारी, संभागीय पेंशन कार्यालय जबलपुर म.प्र. ।
5. उपनियंत्रक क्षेत्रिय मुद्रणालय ग्वालियर।
6. कार्यालय प्रमुख, -----म.प्र. की ओर लेख है कि संबंधित अधिकारियों के सेवा अभिलेख से उनके द्वारा संवर्ग में कार्यभार ग्रहण तिथि को कॉलम क्रमांक-4 में अंकित तिथि से मिलान कर लें तथा कार्यभार ग्रहण दिनांक से ही वेतन नियमन संबंधि कार्यवाही की जावे ।
7. संबंधित अधिकारी श्री/श्रीमती/सुश्री----- की ओर सूचनार्थ।
8. वेबसाइट शाखा, संचालनालय कोष एवं लेखा, भोपाल की ओर निर्देश है कि आदेश को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करें ।
9. व्यक्तिगत नस्ती ।


संयुक्त संचालक
कोष एवं लेखा